

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त कोटा

दिनांक :- 15.05.2025

क्रमांक : 541

श्रीमान् निदेशक,
जनसम्पर्क एवं सूचना निदेशालय,
राजस्थान जयपुर।

विषय :- निविदा सूचना संख्या 02/2025-26 के लिए नोट प्रकाशन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ई-टेंडरिंग निविदा नोट की आठ प्रतियां हिन्दी भाषा में विज्ञापन हेतु प्रकाशनार्थ संलग्न कर भिजवायी जा रही है जिनका प्रकाशन RTPP Act 2012 के नियम Rule 43(7) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के एक अंग्रेजी समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र राज्य स्तरीय के एक समाचार पत्र में एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र जो कि निविदा विज्ञापित करने में विशिष्टता रखता हो में केवल एक बार कम से कम स्थान पर इनका नियमानुसार प्रकाशन कराने का श्रम करें। नोट की व विस्तृत निविदा की सॉफ्ट प्रति संलग्न सी.डी. में वेब साईट पर प्रकाशन हेतु भिजवायी जा रही है।

प्रकाशन के बिलो की तीन प्रतियां भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(ज.पी.मुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त कोटा

क्रमांक : 541

दिनांक :- 15.05.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (नेशनल हाईवे), (पी.एम.जी.एस.वाई.) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (पथ) एवं (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग कोटा।
5. अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. रामगंजमण्डी को प्रेषित कर लेख है कि आपके खण्ड से सम्बन्धित निविदा संबंधी प्रपत्र वेबसाईट एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> व <http://sppp.rajasthan.gov.in> अपलोड करना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
6. अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि.।
7. कोन्ट्रैक्टर एसोसियेशन कोटा प्रथम/द्वितीय।
8. ऑडिटर/लेखाशाखा/तकनीकी शाखा/नोटिस बोर्ड।

—sd—
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त कोटा

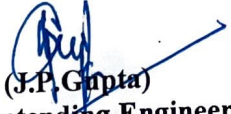
(Matter to be Published in News Paper's)

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PWD CIRCLE KOTA
No. 541

Date :- 15.05.2025

Notice Inviting Bid
(NIT N o. 02/2025-26)

Bid for Cleaning and Reconstruction work of Damaged drains in Chechat and Kherabad towns (Ramganjmandi) Kota. (01 Works) is Invited from interested bidders up to 06.00 PM of 16.06.2025 (Monday). Other Particulars of the bids may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rj.nic.in>) of the Rajasthan State. The approximate value of the procurement is Rs 258.99 Lacs.
UBN No. PWD2526WSOB01833


(J.P. Gupta)
Superintending Engineer
P.W.D. Circle Kota

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त कोटा

क्रमांक : 541

दिनांक :- 15.05.2025

निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से पाँच साल/दस साल की मरम्मत सहित के लिये, उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुख्यालय का नाम	:	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त कोटा
निविदा का कार्य	:	चेचट एवं खैराबाद (रामगंजमण्डी, कोटा) कस्बों में क्षतिग्रस्त नाली का पुनः निर्माण कार्य (1 कार्य)
निविदा की कुल लागत	:	Rs. 258.99 लाख
कुल धरोहर राशि (रूपयों में)	:	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत एवं सा.नि.वि. में पंजीकृत संवेदकों से 1/2 प्रतिशत
ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने की तारीख	:	26.05.2025 से 16.06.2025 सांय 6:00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की तारीख	:	26.05.2025 से 16.06.2025 सांय 6:00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा/तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	:	निविदा/तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 17.06.2025 अपराह्न 03:00 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त कोटा।
निविदा वैधता अवधि	:	90 दिवस

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट "www.dipr.rajasthan.gov.in", <http://eproc.rajasthan.gov.in> तथा <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है।

UBN No. PWD2526WSOB01833


(जे.पी. गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त कोटा

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत कोटा

क्रमांक : 541

दिनांक :- 15.05.2025

निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से **चेचट एवं खैराबाद (रामगंजमण्डी, कोटा) कस्बों में क्षतिग्रस्त नाली का पुनः निर्माण कार्य (1 कार्य)** मय पाँच/दस साल की डिफेक्ट लाईबिलिटी सहित के लिये प्रतिशत दर के अनुसार जो संवेदक केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

(अनुमानित लागत लाखों में)

क्र.सं.	कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क/ RISL फीस	कार्य पूर्ण करने की अवधि	धरोहर राशि निम्न के पक्ष में
1	2	3		4	5
01	Cleaning and Reconstruction work of Damaged drains in Chechat and Kherabad towns (Ramganjmandi) Kota. UBN No. PWD2526WSOB01833	258.99 लाख	2000 / 2000 /	4 माह	अधि०अभि० सा०नि०वि० खण्ड रामगंजमण्डी कोड 28140

*राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त/ साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक 27.4.2020 के बिन्दु 1 व 2 निर्माण विभागों की निविदाओं हेतु **RISL Fees** बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) में एवं **दस्तावेज मूल्य (Tender Fees)** बजट मद 0075-00-800-52-01 अन्य मद एवं बिड सिक्यूरिटी (धरोहर राशि) बजट मद 8443-108 (निर्माण विभाग) में ई-ग्रास पर ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा जमा करवाई जानी है।

सम्बन्धित निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। संवेदक निविदा इलेक्ट्रानिक फारमेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराएँ।

सिविल कार्यों की निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी :

किसी भी सीमा तक	एए श्रेणी संवेदक
रुपये 10.00 करोड़ तक	ए श्रेणी संवेदक
रुपये 05.00 करोड़ तक	बी श्रेणी संवेदक
रुपये 01.50 करोड़ तक	सी श्रेणी संवेदक

- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 16.06.2025 को सायं 6.00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रानिक फोरमेट में वेब साईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर दिनांक 26.05.2025 से दि. 16.06.2025 को सायं 6.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं तथा दि. 17.06.2025 अपरान्ह 03.00 बजे निविदा खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जावेगी।
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
- कार्य के सम्मुख सम्बन्धित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 16.06.2025 को सायं 6.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेब साईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदादाता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदादाता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्रॉइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरो का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

- 5 निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क बिड सिक्योरिटी (बोली प्रतिभूति) राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक 27.4.2020 के बिन्दु 1 व 2 निर्माण विभागों की निविदाओं हेतु **RISL Fees** बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) एवं **बोली दस्तावेज मूल्य (Tender Fees)** बजट मद 0075-00-800-52-01 अन्य मद में ई-ग्रास पर ई-प्रोक्थोरमेन्ट प्रक्रिया हेतु एक ही चालान से दिनांक 16.06.2025 सॉय 6:00 बजे से पूर्व सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड के नाम जमा करवाई जानी है।
- 6 निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा एवं धरोहर राशि मान्य (OPEN) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 7 यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर पर किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- 8 राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवानिवृत्ति लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- 9 निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं।
- 10 पंजीकृत निविदादाता किसी भी राज्य में स्वयं डी-बार नहीं होने का शपथ पत्र 100/- रु के स्टाम्प पत्र पर देना होगा।
- 11 निविदादाता जीएसटी में पंजीकृत का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड कर धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के साथ प्रति प्रस्तुत करेगा।
- 12 ई-टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :
- (अ) इस निविदा में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट (सी.सी.ए.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
- (द) ऑनलाईन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 2 (अ) के अनुसार खोली जायेगी।
- (य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है।
- (र) कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकी जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- (ल) टेण्डर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाईन दर्ज करें।
- 13 उपरोक्त वर्णित शर्तों के रहते हुये यदि निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई वाद उत्पन्न होता है तो आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 तथा पीडब्ल्यूएफएण्डआर के सम्बन्धित नियम प्रभावी (Prevail) होंगे।
- 14 मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव सा०नि०वि० राजस्थान जयपुर के पत्रांक सीई(एम)पीडब्ल्यूडी/एसपीपीपी/13-14/डी-914 दिनांक 06.01.2014 के अनुसार उक्त कार्यों के लिये प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी निम्न प्रकार होंगे।

क्र. सं.	प्रोक्चोरमेंट एन्टिटी लेवल	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता (संबंधित)	अति० मुख्य अभियन्ता(संबंधित)
2	अधीक्षण अभियन्ता	अति० मुख्य अभियन्ता (संबंधित)	मुख्य अभियन्ता(संबंधित)
3	अति० मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता(संबंधित)	मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव
4	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव	शासन सचिव सा०नि०वि०

विशेष शर्त :-

- 15 श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा०नि०वि० राज० जयपुर के पत्रांक 2028 दिनांक 14.12.2021 से जारी निर्देशों के अनुसार 2 वर्ष पूर्व जारी स्थायी पंजीयन आदेशों का पुनरावलोकन पंजीयन अधिकारी से करवाकर प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में निविदायें मान्य नहीं होगी।
- 16 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTPP Act 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTPP Rules 2013) की समस्त शर्तें मान्य होगी। उक्त शर्तों में एक्ट की धारा 42 निम्न प्रकार से है :-

च

42 :- उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप :-

(2) बोली लगाने वाला जो :-

- (क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।
- (ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।
- (ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन सविदा करने के असफल होता है।
- (घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबन्धनों में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूमि या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूमि उपलब्ध करवाने में वैध आधारों के बिना असफल रहता है।


(ज. पी. गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त कोटा